

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 133 / 2023

अनिल कुमार कौशिक

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (स्वास्थ्य) विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुहाना, झुंझुनू।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.01.2023

आदेश की दिनांक : 24.01.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री भरतेश जोशी एवं श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद पर सी.एच.सी., बुहाना, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 21.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सी.एच.सी., चिराना, जिला झुंझुनू पदोन्नत करते हुए पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्था संख्या 3 के द्वारा पदोन्नत कार्मिकों की सूची कार्मिकों की इच्छानुसार तीन रिक्त इच्छित स्थान भरवाकर प्रत्यर्था विभाग ने लिए और कार्मिकों की अपीलार्थी ने तीन रिक्त इच्छित स्थान अपने पद के भरकर दिए और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भेज दिए। प्रत्यर्था संख्या 3 ने आलोच्य पदस्थापन सूची दिनांक 21.11.2022 को जारी की, जिसमें अपीलार्थी को सी.एच.सी., चिराना, झुंझुनू पदस्थापित कर दिया

जबकि उसने चिराना, झुंझुनू पदस्थापन स्थान भरकर नहीं दिया था। अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में माननीय चिकित्सा मंत्री को दिनांक 23.11.2022 को अभ्यावेदन दिया। परंतु उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदस्थापन स्थान परिवर्तन करने का दिलासा दे दी गई। परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 28.11.2022 को संशोधित पदस्थापन सूची जारी की गई, जिसमें 19 कार्मिकों के पदस्थापित स्थान परिवर्तित किए गए एवं आदेश दिनांक 12.12.2022 को 15 कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन किया गया। परंतु अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान परिवर्तित नहीं किया गया और आलोच्य आदेश दिनांक 21.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सी.एच.सी., बुहाना से सी.एच.सी., चिराना पदस्थापित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 21.11.2022 जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नत करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन सी.एच.सी., बुहाना से सी.एच.सी., चिराना किया गया था। उसे अपास्त कर उसके पदस्थापन स्थान को परिवर्तित किए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 21.11.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद पर सी.एच.सी., बुहाना, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी को निदेशालय के आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन से तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया और पदोन्नत के उपरांत आदेश दिनांक 21.11.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी सी.एच.सी., बुहाना, जिला झुंझुनू से सी.एच.सी., चिराना, जिला झुंझुनू पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नत कार्मिकों से पदोन्नति उपरांत पदस्थापन स्थान हेतु विकल्प पत्र चाहे गये थे, जिसमें अपीलार्थी द्वारा भी विकल्प पत्र अनुलग्नक-6 पदोन्नत उपरांत पदस्थापन स्थान के लिए भरकर दिया गया तथा अनुलग्नक-7 जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्रमाणित किया गया है कि तकनीकी सहायक का पद रिक्त चल रहा है। पद रिक्त होते हुए

भी अपीलार्थी को उक्त रिक्त पद पर पदस्थापित नहीं किया गया जबकि अन्य पदोन्नत कार्मिकों को उनके विकल्प पत्र के आधार पर रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किए गए कृत्य में नियम विरुद्धता परिलक्षित होती है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की पदोन्नति को प्रभावित न करते हुए आदेश दिनांक 08.09.2022 (अनुलग्नक-3) का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्णय होने तक आलोच्य आदेश दिनांक 21.11.2022 (अनुलग्नक-1) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा तथा अपीलार्थी आलोच्य आदेश जारी होने से पूर्व जिस स्थान पर कार्यरत था, उसी स्थान पर कार्यरत रहेगा।

उपरोक्त निर्णय के साथ अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य